

Roll No.

CP-1003

Business Laws

(व्यावसायिक सन्नियम)

Master of Business Administration/

Diploma in Management

(MBA-13/MBA-12/MBA-10/DIM-10)

First Semester, Examination, 2017

Time : 3 Hours

Max. Marks : 60

Note : This paper is of **sixty (60)** marks containing **three (03)** sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र साठ (60) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of fifteen (15) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह (15) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What is a contract ? Explain the essential elements of a valid contract.

अनुबन्ध किसे कहते हैं ? एक वैध अनुबन्ध के आवश्यक लक्षणों को समझाइए।

2. Explain the different kinds of remedies available to an agrieved party for breach of contract.

अनुबन्ध भंग के प्रति पीड़ित पक्षकार को प्राप्य विभिन्न उपचारों की व्याख्या कीजिए।

3. Who is unpaid seller ? What are his rights against the buyer personally and against the goods ?

अदत्त विक्रेता कौन है ? क्रेता के प्रति व्यक्तिगत रूप से और माल के प्रति उसके क्या अधिकार हैं ?

4. Define public company and private company. Differentiate between a private company and a public company.

सार्वजनिक कम्पनी तथा निजी (प्राइवेट) कम्पनी की परिभाषा दीजिए। सार्वजनिक कम्पनी तथा निजी (प्राइवेट) कम्पनी में भेद कीजिए।

Section-B / खण्ड-ख**(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)**

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of five (05) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच (05) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Explain the importance of consumer protection from the point of view of a business.
व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए।
2. What is your responsibilities as a consumer ?
उपभोक्ता के रूप में आपका क्या दायित्व है ?
3. Distinguish between condition and warranty.
शर्त एवं आश्वासन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
4. What is Computer Crime ?
कम्प्यूटर अपराध क्या है ?
5. Distinguish between Promissory Note and Bill of Exchange.
प्रतिज्ञा-पत्र तथा विनिमय विपत्र में अन्तर कीजिए।
6. Define consideration.
प्रतिफल की परिभाषा कीजिए।

7. What do you mean by free consent ?
स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं ?
8. What do you mean by Contractual capacity ?
अनुबन्ध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं ?

Section-C / खण्ड-ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Indicate whether the following are True *or* False.

इंगित कीजिए कि निम्नलिखित सत्य हैं या असत्य।

1. National Commission (under Consumer Protection Act) can settle dispute up to ₹ 20 lakh.
राष्ट्रीय आयोग (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन) ₹ 20 लाख तक के विवादों का निपटारा कर सकता है।
2. The machinery for settlement of consumer disputes in Two-tier.
उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था द्विस्तरीय है।
3. Maximum number of members in a private company can be 200.
प्राइवेट कम्पनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है।

4. A private company has a minimum paid up capital of ₹ 1 lakh.

एक प्राइवेट कम्पनी की न्यूनतम चुकता पूँजी ₹ 1 लाख होती है।

5. Memorandum of Association in a public document.

पार्षद सीमानियम एक सार्वजनिक प्रलेख है।

Fill in the blanks.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

6. A contract can enforceable by law only at the option of one party.

एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय अनुबन्ध होता है।

7. A contract for sale of 'Future Goods' is called

‘भावी माल’ के लिए विक्रय अनुबन्ध को कहते हैं।

8. If consideration is not adequate the contract will be

यदि प्रतिफल पर्याप्त नहीं हो, तो अनुबन्ध होगा।

9. The Information Technology Act was passed in the year

सूचना तकनीकी अधिनियम वर्ष में पारित हुआ।

10. Where the object or consideration of an agreement is unlawful, then contract will be

जहाँ ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल अवैधानिक होता है तो ऐसा अनुबन्ध होता है।

